कार्यालय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, अमरपुर (दौसा)
दूरभाष– 07461294942 Email Id– amarpur.rreis.sje@rajasthan.gov.in

कमांक : ई निविदा/2023/ 40 दिनांक 11/08/2023

ई–निविदा सूचना
विज्ञप्ति कमांक – 01/2023–24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर दौसा में 01 वर्ष 2023–24 (निविदा खोलने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक) के लिए निम्नांकित ठेका कार्यो हेतु निम्न विवरणानुसार इच्छुक पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन निविदाए आमन्त्रित की जाती है –

क. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित बजट सीमा	निविदा प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि 2 % रूपये में	कार्य अवधि	E-procurement प्रकिया शुल्क	
1	सुरक्षाकर्मी (सिक्यूरिटी मैन)– 04	1850000	1000	37000	1 वर्ष	500	3 (12 माह हेतु) 1 (10 माह हेतु)
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी –03						1 (12 माह हेतु) 2 (10 माह हेतु)
3	सफाई कर्म.–02						1 (12 माह हेतु) 1 (10 माह हेतु)
4	बागवान–01						1 (12 माह हेतु)
5	इलै./प्लम्बर–01						1 (12 माह हेतु)
7	मुख्य रसोईया–01						1 (10 माह हेतु)
8	रसोईये–4						4 (10 माह हेतु)
9	प्रयोगशाला सेवक– 01						1 (10 माह हेतु)
योग		1850000					

नोट–

1. सर्विस चार्ज की राशि स्त्रोत पर आयकर कटौती राशि की प्रचलित दर 02 प्रतिशत से कम स्वीकार्य नहीं होगी।
2. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड व अपलोड करने की तिथि– दिनांक 11.08.2023 से दिनांक 28.08.2023 को सांयकाल 5.00 बजे तक।
3. प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर, दौसा कार्यालय में भौतिक रूप से डी. डी. एवं अन्य दस्तावेज जमा कराने की अन्तिम तिथि दिनांक 29.08.2023 को दोपहर 12.00 P.M. तक
4. ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि – दिनांक 29.08.2023 को 1.00 P.M. पर
5. समस्त राशियों के डी.डी. की हार्डकॉपी लिफाफे में रखकर प्रत्येक लिफाफे पर निविदा तथा फर्म का नाम एवं निविदादाता के मोबाईल नम्बर अंकित करना होगा।
6. RISL प्रोसेसिंग 500/– फीस (डी.डी. या बैंकर्स चैक द्वारा) जो एमडी RISL जयपुर के नाम देय होगी।
7. निविदा सम्बन्धित जानकारी www.SPPP.raj.nic.in www.eproc.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वैबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

अनिल Pinky

(डॉ. शकुन्तला मीना)
प्रधानाचार्य
देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय
विद्यालय अमरपुर, दौसा

Scanned with CamScanner

ालय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, अमरपुर (दौसा)

(जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एवं तिथि)

मैसर्स .... को जारी किया गया।

निविदा प्रपत्र (तकनीकी निविदा)

विषय :– देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर दौसा में सुरक्षाकर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर, बागवान, सफाई कर्मचारी, प्रयोगशाला सेवक, मुख्य रसोईया, रसोईये का कार्य से संविदा पर जॉब बेसिस के आधार पर करवाने बाबत।

निविदादाता फर्म का नाम व पता :– ....

1. प्रोपराईटर का नाम .... मोबाईल नं. ....
2. प्रोपराईटर का स्थायी पता ....
3. निविदा शुल्क राशि 1000/–रू जमा कराने का विवरण डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
4. अमानत राशि रूपये .... जमा कराने का विवरण डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
5. रजिस्ट्रेशन इत्यादि का विवरण :–

क0 सं0	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
02	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952			
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
04	वस्तु एवं सेवा कर (GST)			
05	आय कर (पैन नम्बर)			
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			
07	पसार एक्ट 2005			

उक्त रजिस्ट्रेशन के संबंध में स्वयं सत्यापित दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

6. तकनीकी सक्षमता :–

(ए) वित्तीय टर्न ओवर :– प्रति वर्ष के टर्नओवर (Turn Over) का विवरण (गत तीन वर्षो का) वित्तीय टर्न ओवर के संबंध में सी.ए. द्वारा सत्यापित, UDIN नम्बरो सहित, दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।

क0 संख्या	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रूपये लाखों में)
01	2020–21	
02	2021–22	
03	2022–23	

(इ) कार्य अनुभव का विवरण :–

क0संख्या	संस्थान का नाम	कार्यादेश की संख्या	कार्य की लागत
01			
02			
03			

गत तीन वर्षो में समकक्ष प्रकार के किये गये कार्यो के कार्यादेश की प्रति संलग्न करें एवं साथ ही उन कार्यादेशों का संतोषप्रद पूर्णता का संबंधित विभाग/संस्था का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें, इसके अभाव में संवेदक की निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
(ब) यदि वित्तीय निविदा में एक से अधिक संवेदक की दर समान पाई जाती है तो अधिक वित्तीय टर्न ओवर वाले संवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी, क्य समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

मैनें/हमने प्रधानाचार्या देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय अमरपुर, दौसा के द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित एवं निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो को स्वीकार करने के साक्ष्य के रूप में मैनें/हमने हस्ताक्षर किये हैं जिन्हें मैं/हम मानने के लिए बाध्य हूँ/है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा

यदि मेरे/हमारे द्वारा दिये उक्त तथ्य गलत पाये गये तो आवासीय विद्यालय प्रशासन को बिना किसी पत्र/नोटिस के मेरी/हमारी अमानत राशि जब्त करने एवं उक्त निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकारी प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय, अमरपुर, दौसा को प्रदत्त करता हूँ/करते हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम ....
पत्र व्यवहार का पता ....
मोबाईल नं. ....

Scanned with CamScanner

...लय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, अमरपुर (दौसा)

निविदा शर्ते

(देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर दौसा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला सेवक का कार्य जॉब बेसिस के आधार पर करवाने बाबत।)

1. निविदादाता को कार्य आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर या विद्यालय विद्यालय की मांग अनुसार संविदा पर वांछित सेवाएं जॉब बेसिस पर उपलब्ध करवानी होगी।
2. निविदादाता को निविदा खोलने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक प्रतिदिन निविदा में स्वीकृत दरों पर विद्यालय की आवश्यकतानुसार जॉब बेसिस के आधार पर कर्मचारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाने होगें। निविदादाता द्वारा अपर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध करवाने के कारण सेवा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित न होने की स्थिति में आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी, जिसका हर्जा खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
3. निविदादाता द्वारा संविदा पर उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों का आचरण अथवा गलत व्यवहार पाये जाने पर प्रधानाचार्या देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय अमरपुर, दौसा के निर्देश पर उसे तुरन्त हटाना होगा। ऐसे व्यक्ति को नहीं हटाने पर प्रधानाचार्य द्वारा आवासीय विद्यालय में प्रवेश की अनुमति व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्या आवासीय विद्यालय स्वतंत्र होगें तथा हर्जा खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
4. निविदादाता द्वारा संविदा पर लगाये गये व्यक्तियों द्वारा अनुबंध अवधि में विद्यालय की किसी भी चल अथवा अचल सम्पति को क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की भरपाई ठेकेदार/अनुबंधित एजेन्सी के बिल अथवा प्रतिभूति की राशि में से की जायेगी।
5. निविदादाता द्वारा अनुबंध पर लगाये गये व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का लाभ अथवा परिलाभ देय नहीं होगा। श्रम नियमों, मजदूरी अधिनियम की पालना, आवासीय विद्यालय में लगाये गये व्यक्तियों को देय भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
6. विद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा जैसे आवास भोजन एवं वर्दी आदि उपलब्ध नही करवाई जायेगी।
7. न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए अद्योहस्तक्षरकर्ता बाध्य नहीं है उसे बिना कोई कारण बताए निविदा को रदद करने के लिए अधिकार रहेगा।
8. निविदादाता को संविदा पर श्रमिक उपलब्ध करवाने हेतु नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। निविदा के साथ में उक्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करावें। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के अवकाश मे रहने पर पूर्ण में सूचना देनी होगी तथा उसे अवकाश के दिन का कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा।
9. न्यूनतम कार्य अवधि 8 घंटे होगी तथा इस संबंध में विद्यालय की सुविधानुसार समय परिवर्तन होने पर उसे समय–समय पर समय परिवर्तन की सूचना दे दी जावेगी।
10. प्रयोगशाला सेवक को प्रयोगशाला के कार्यों की जानकारी होना आवश्यक है।
11. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से विद्यालय की सुविधा के अनुसार विद्यालय का कोई भी कार्य करवाया जा सकता है।
12. विद्यालय में आने जाने की यातायात की व्यवस्था स्वयं की होगी।
13. भुगतान संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को सीधा नहीं किया जायेगा वरन ठेकेदार/एजेन्सी को किया जायेगा तथा कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार/एजेन्सी की होगी। कर्मचारी सीधे तौर पर विद्यालय प्रशासन से कोई पत्र व्यवहार नहीं कर सकेगा।
14. अनुबंध 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा। परन्तु अवधि से पूर्व भी बिना कोई कारण बताऐ सेवा अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। निविवादाता द्वारा इस हेतु किये गये वाद–विवाद के लिए अद्योहस्ताक्षरकर्ता कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
15. संविदा पर कार्य करने के बदले किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लागू समय समय पर जारी किये गये समस्त नियम लागू होगें।
17. भुगतान संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा लागू नियमों के तहत भुगतान करने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/एजेन्सी की होगी।
18. ठेकेदार/एजेन्सी को संविदा पर लगाये गये कर्मचारियों के उपर्युक्त वांछित शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र की छाया प्रति एटेस्टेड कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगीं।
19. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को ठेकेदार/एजेन्सी द्वारा पहचान हेतु परिचय पत्र स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध कराना होगा तथा उसे प्रतिदिन उपस्थिति के साथ कर्मचारी को डयूटी के समय पहने जाने वाले कपडों पर लगाना होगा।
20. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को विद्यालय परिसर में कोई आवास, वर्दी एवं भोजन संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। श्रम नियमों, मजदूरी अधिनियम की पालना, आवासीय विद्यालय में लगाये गये संविदा पर व्यक्तियों को देय भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

Pinky

प्रधानाचार्य
देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय
विद्यालय अमरपुर, दौसा

Scanned with CamScanner

मैनें/हमारे द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... वर्णित सभी शर्ते तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो प्रत्येक पृष्ठ को समझकर इन्हें स्वीकार रते है, तथा सभी शर्तो को पढकर एवं समझकर इन्हे स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

ोट :–

1. सविदा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण–पत्र मय **P.F.&ESI** कटौती विपत्रों को प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह का बिल पारित किया जायेगा।

दिनांक :–

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

Rinky

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधानाचार्या देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर, दौसा

निविदा शर्ते

(विद्युत, डी.जी. सेट संचालन. जल एवं पौध अनुरक्षण हेतु इंलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर, बागवान की सेवाऐं जॉब बेसिस पर करवाने बाबत।)

1. निविदादाता का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विद्यालय परिसर मय स्टॉफ क्वार्टर रहेगा।
2. विद्यालय में किसी भी समय आवश्यकता होने पर तुरन्त ही निविदादाता द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
3. पानी को कीटाणुओं से मुक्त रखने हेतु विद्यालय द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सामग्री का प्रयोग करना होगा।
4. गेट पर एक शिकायत पंजिका रखी जाएगी, जिसकी जांच निविदादाता/अधिकृत कर्मी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी तथा शिकायत या समस्या का निवारण प्रतिदिन करना होगा।
5. निविदाएं निविदा खोलने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक अथवा आगामी आदेश की समाप्ति तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि में आपसी सहमति से आगामी सत्र के लिए वृद्वि की जा सकेगी।
6. निविदादाता को निविदा खोलने की तिथि से एक वर्ष की समाप्ति तक कार्य आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर या विद्यालय की मांग अनुसार ठेके पर सेवाएं उपलब्ध करवानी होगी।
7. निविदादाता के द्वारा संविदा पर जॉब बेसिस पर दी जाने वाली सेवा हेतु लगाये गये कर्मचारियों का आचरण अथवा गलत व्यवहार पाये जाने की स्थिति में प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर, दौसा के निर्देश पर उसे तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा। ऐसे व्यक्ति को नही हटाने पर प्रधानाचार्य के द्वारा आवासीय विद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा व्यवस्था कों सुचारू रूप से चलाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने हुतु प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय स्वतन्त्र होंगे तथा समस्त हर्जे-कर्जे की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8. निविदादाता के द्वारा ठेके पर दी जाने वाली सेवा हेतु लगाये गये व्यक्तियों के अनुबंध अवधि में विद्यालय के किसी भी चल अथवा अचल सम्पति को क्षति पहुचाई जाती है तो क्षति की भरपाई ठेकेदार के बिल अथवा प्रतिभूति की राशि में से की जायेगी।
9. निविदादाता के द्वारा लगाये गये व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का लाभ अथवा परिलाभ देय नही होगा। श्रम नियमें मजदूरी अधिनियम की पालना, आवासी विद्यालय में लगााये गये व्यक्तियों को दय भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
10. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अंशो में स्वीकार करने या स्वीकृत निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
11. विद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार करी सुविधा जैसे आवास, भोजन एवं वर्दी आदि उपलब्ध नही करवाई जायेगी।
12. कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर संस्था प्रधान के निर्देशानुसार गुणवत्ता में सुधार लाना होगा अन्यथा प्रधानाचार्य के द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था के समस्त हर्जे-कर्जे की वसूली निविदादाता से की जायेगी।
13. निविदादाता विद्युत अनुरक्षण कार्य वैध लाईसेंस धारक व्यक्ति से ही अनिवार्य रूप से करवायेगा। विद्यालय द्वारा आवश्यक सामग्री जैसे बल्ब, टयूबलाईट, स्वीच, बिजली के तार इत्यादि उपलब्ध करवायेगा। इस कार्य को करने हेतु अन्य उपकरण एवं सुरक्षा उपकरणों को निविदादाता के द्वारा उपलब्ध करवाने होगे। इस कार्य को सम्पादित समय होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी व दायित्वों के लिए निविदादाता ही सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। राज्य सरकार एवं विद्यालय प्रशासन का किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा। बिजली नही होने की दशा में तुरन्त प्रभाव से डीजी सेट चालू करना होगा। डी.जी. सेट के रखरखाव व उस कमरे की सार संभाल व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। इस कार्य हेतु डीजल विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसकी लोग बुक का संधारण निविदादाता को करना होगा एवं प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी को जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
14. निविदादाता पेयजल वितरण व पौध अनुरक्षण का कार्य वैध लाईसेंस धारक व्यक्ति से ही करवाया जायेगा। विद्यालय प्रशासन के द्वारा आवश्यक सामग्री जैसे पाईप, टूटिया, वासर आदि उपलब्ध करवाये जायेगें, किन्तु अन्य उपकरण एवं सुरक्षा संबंधी उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए निविदादाता ही पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा। विद्यालय परिसर में पानी सप्लाई का कार्य निरन्तर एवं सुचारू रूप से रखना होगा। पम्पिंग उपकरणों की समुचित देखभाल रखरखाव के साथ पानी की सप्लाई की खराबी को ठीक करना होगा।
15. निविदादाता को विद्यालय परिसर में लगे पौधो की नियमित देखभाल करने, नये पौधे लगाने, घास की कटिंग करने एवं उन्हे नियमित पानी देने का कार्य इत्यादि करना होगा। घास कटिंग हेतु मशीन व अन्य औजार कैंची, कुल्हाडी आदि विद्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी जायेंगी।
16. अद्योहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा समयानुसार दिये गये दिशा निर्देश व आवश्यक रूप से पालन करना होगा।
17. आवश्यक सुरक्षा माप दण्डो का पालन करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी तथा कार्य के दौरान श्रमिक के साथ हुई दुर्घटना के लिये निविदादाता ही जिम्मेदार होगा।

अखिल Pinky

प्रधानाचार्य
देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय
विद्यालय अमरपुर, दौसा

Scanned with CamScanner

मैनें/हमारे द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... वर्णित सभी शर्ते तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो प्रत्येक पृष्ठ को समझकर इन्हें स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो को पढकर एवं समझकर इन्हे स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

नोट :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

21/6

अनिल

Pinky

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधानाचार्या देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर, दौसा

निविदा शर्ते

(सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का कार्य संविदा पर ज़ॉब बेसिस पर करवाने बाबत)

1. कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाने पर संस्था प्रधान के निर्देशानुसार गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। अन्यथा प्रधानाचार्य के द्वारा की गई वैकल्पिक व्यवस्था के समस्त हर्जे–खर्चे की वसूली निविदादाता से की जायेगी।
2. निविदादाता को सफाई कार्य के लिये सफाई से संबंधित सामग्री छात्रावास अधीक्षक/भण्डारपाल, विद्यालय से उपलब्ध करवा दी जायेगी तथा कंटीली झाड़ियां आदि कटवाने का कार्य स्वयं के औजार से करना होगा।
3. पतझड़/वर्षा/आंधी तूफान के समय विद्यालय में विशेष सफाई अभियान चलाना होगा।
4. कचरा विद्यालय परिसर से बाहर डालना होगा/निस्तारण करना होगा।
5. राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशो के अनुसार समय–समय पर अभियान चलाना होगा।
6. भोजन शाला व विद्यालय व विद्यालय परिसर में प्रतिदिन फिनयल से पोंछा लगाना होगा।
7. समस्त सफाई कार्मिको के पहचान पत्र व उत्तम आचरण का प्रमाण–पत्र निविदादाता द्वारा कार्यालय में जमा कराना होगा।
8. भोजन कक्ष में सुबह के नाश्ता, दोपहर के भोजन, शाम के नाश्ता व शाम के भोजन के बाद नियमित सफाई करनी होगी।
9. छात्रावास परिसर में एवं शौचालयो मे सुबह व शाम दोनों समय सफाई करनी होगी।
10. सफाई सम्पूर्ण परिसर की करनी होगी अर्थात विद्यालय भवन, छात्रावास परिसर, भौजनशाला, स्टॉफ आवास परिसर, खेल मैदान, सडक इत्यादि।
11. गेट पर उपस्थिति रजिस्टर में आने जाने का समय दर्ज करना होगा।
12. गेट पर एक शिकायत पंजिका रखी जाएगी जिसकी जॉच निविदादाता/अधिकृत कर्मी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी तथा शिकायत या समस्या का निवारण प्रतिदिन करना होगा।
13. आपातकाल में कभी भी सफाईकर्मियों को बुलाया जा सकता है।
14. निविदाकर्मी अपने कार्य के एवज में किसी से आर्थिक सहायता की मांग नहीं करेगा।
15. विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की सुविधा जैसे – आवास, भोजन, यातायात एवं वर्दी आदि की सुविधा उपलब्ध नही करवायी जायेगी।
16. विद्यालय प्रागंण में सुरक्षा व्यवस्था हेतु चौकीदार को आवश्यक सामग्री स्वयं संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। विद्यालय द्वारा कोई सामग्री उपलब्ध नही कराई जावेगी।
17. संवेदक का व सुरक्षा प्रहरियो का कार्य सन्तोषजनक नही होने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा अनुबन्ध समाप्त कर दिया जावेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
18. विद्यालय प्रागंण में सुरक्षा व्यवस्था का कार्य दिन व रात्रि में सम्पूर्ण 24 घन्टे करना होगा तथा विद्यालय यार्ड से अवैधानिक रूप से माल के आवागमन को रोकने की जिम्मेदारी संवेदक द्वारा नियुक्त चौकीदार की होगी। इस सम्बन्ध में विद्यालय के कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। विद्यालय प्रागंण में चोरी होने व प्रमाणित होने पर संवेदक जिम्मेदार होगा तथा सम्बन्धित पीडित को हुई हानि की क्षतिपूर्ति हेतु संवेदक के बिल में से राशि की कटौती की जावेगी।
19. संवेदक के चौकीदार निर्धारित वर्दी मे ड्यूटी पर उपस्थित होगें। जिसे स्वंय संवेदक द्वारा सुरक्षा प्रहरियो को उपलब्ध करवायी जावेगी।
20. संवेदक को विद्यालय प्रागंण में पूरे माह में सुरक्षा प्रहरियो द्वारा सुरक्षा करनी होगी। सुरक्षा प्रहरियो के साप्ताहिक अवकाश के दिन दूसरे चौकीदार लगाने होगें। चौकीदार का कार्य करते हुये किसी भी श्रमिक की दुर्घटना की स्थिति में संवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा विद्यालय प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
21. ठेका व्यवस्था में स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से पूर्णतया फिट 21 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। ठेका व्यवस्था में लगे कर्मी को निर्धारित वेश–भूशा (ड्रेस) परिचय पत्र, व्यवस्था हेतु आवश्यक रस्सी, टोपी, सीटी, टार्च की व्यवस्था सम्बन्धित एजेन्सी को करनी होगी। ड्यूटी के समय निर्धारित ड्रेस एवं परिचय पत्र लगाकर रहना होगा। प्रत्येक पारी में कार्मियो के नियोजन का निर्देश विद्यालय प्रशासन द्वारा दिया जावेगा। 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का ठेकेदार द्वारा नियोजन नही किया जावेगा। ठेके पर लगे कार्मिको का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से करवाया ज़ा सकता है।
22. **सुरक्षा व्यवस्था कार्य में मुख्यतः निम्न कार्य सम्मिलित होगे –**
    (A) बिना सक्षम अनुमति/निर्धारित प्रकिया के किसी भी प्रकार का सामान विद्यालय परिसर से बाहर/अंदर नही जायें।
    (B) विद्यालय की सम्पति को नुकसान नही पहुचाए।
    (C) विद्यालय परिसर में कोई आवारा पशु प्रवेश नही करे तथा अवांछित व्यक्तियो/वाहनो का आवागमन रोके और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की तत्काल सूचना देना।
    (D) संदेहस्पद गतिविधि वाले व्यक्ति की पहचान कर विद्यालय प्रशासन को अवगत करावें। ऐसी कोई कार्यवाही जो उक्त कार्य में व्यवधान उत्पन्न करती हो, उसके बारे में तुरन्त विद्यालय प्रशासन को अवगत करावें।
    (E) अन्य कार्य जो विद्यालय प्रशासन निर्धारित करें।
23. निविदादाता निविदा भरने से पूर्व सम्पूर्ण आवासीय विद्यालय परिसर, भोजनकक्ष, छात्रावास भवन, कर्मचारी आवास परिसर, शौचालयों, बाथरूम, सड़के, मैदान तथा समस्त परिसर का अवलोकन कर सकेगा।
24. संविदा पर कार्य करने के बदले किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

Scanned with CamScanner

. उपरोक्त के अतिरिक्त समयानुसार जारी किये गये समस्त नियम लागू होगें।

6. आवश्यक सुरक्षा माप दण्डो का पालन करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी तथा कार्य के दौरान श्रमिक के साथ हुई दुर्घटना के लिये निविदा दाता ही जिम्मेदार होगा।

प्रधानाचार्य
देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय
विद्यालय अमरपुर, दौसा

मैनें/हमारे द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्ते तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो प्रत्येक पृष्ठ को समझकर इन्हें स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो को पढकर एवं समझकर इन्हे स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

नोट :–

1. सविदा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण–पत्र मय P.F.&ESI कटौती विपत्रों को प्रस्तुत करने पर ही बिल पारित किया जायेगा।
2. ग्रीष्मकालीन, मध्यावधि व शीतकालीन अवकाश के दौरान 02 सफाई कार्मिको के स्थान पर 01 कार्मिक की ही आवश्यकता रहेगी अतः इन अवकाशो के दौरान 01 कार्मिक का ही भुगतान किया जायेगा।

दिनांक :–

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

....

Scanned with CamScanner

...लय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, अमरपुर (दौसा)

निविदा शर्ते

(अध्ययनरत छात्राओं हेतु दो समय खाना बनाने, विशेष भोजन, नाश्ता बनाने (वितरण), फल वितरण, रसोई एवं खाना बनाने के बर्तनो की सफाई हेतु रसोईयो की व्यवस्था हेतु)

1. विद्यार्थियों को एक दिन में दो समय का भोजन, एक समय का नाश्ता मय दुध/चाय, विशेष भोजन विद्यालय द्वारा निर्धारित समयानुसार उपलब्ध कराना होगा। सर्दी व गर्मी का समय भिन्न भिन्न हो सकता हैं।
2. **स्पेशल डाईट साप्ताहिक (त्यौहार/उत्सवों पर आवश्यक) उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होगी जिस पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।**
3. प्रतिदिन भोजन मय नाश्ता का समय सामान्यतया इस प्रकार से होगा।

प्रातः काल नाश्ता	07:30 AM से 8:30 AM
दोपहर भोजन	12:30 PM से 01:30 PM
रात्रि भोजन	07:30 PM से 08:30 PM

नोट :– समय परिवर्तन किया जा सकेगा।

प्रतिदिन भोजन मय नाश्ता का मेन्यू निम्न प्रकार होगा।

क.सं.	वार	सुबह का नाश्ता	सुबह का खाना	रात्रि भोजन
01	सोमवार	पोहे,दूध	चपाती, दाल, दही/रायता	चपाती, सब्जी, सलाद/फल
02	मंगलवार	अंकुरित चने/मूंग/मोंठ, दूध	चपाती,दाल	चपाती, हरी सब्जी, फल
03	बुधवार	पोहे	चपाती, चावल, राजमा की सब्जी	चपाती, सब्जी, सलाद/फल
04	गुरूवार	मीठा दलिया व दूध	चपाती, दाल, दही/रायता	चपाती, मौसमी सब्जी,फल
05	शुक्रवार	नमकीन दलिया, दूध	चपाती, दाल	चपाती, सब्जी, सलाद/फल
06	शनिवार	बिस्कुट व दूध	चपाती, दाल	चपाती, सब्जी सलाद/फल
07	रविवार	पोहे	विशेष भोजन	चपाती, सब्जी

विशेष भोजन

प्रथम रविवार	नमकीन चावल, पुडी, छोले की सब्जी
द्वितीय रविवार	खीर, पुडी, सब्जी
तृतीय रविवार	चूरमा, बाटी,दाल
चतुर्थ रविवार	खीर–पुडी, सब्जी
पंचम रविवार	गेहूं के आटे का हलवा (लापसी) पुड़ी, सब्जी

नोट :– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मेन्यू में परिवर्तन करने पर उसके अनुसार ही खाना बनाना होगा।

4. भोजन मय नाश्ता पकाने में प्रयोंग में आने वाली गैस की व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जायेगी।
5. भोजन मय नाश्ता में काम आंने वाली प्रत्येक राशन सामग्री की व्यवस्था मय दूध,हरी सब्जी, ईधन भोजन पकाने एवं खाना खिलाने संबंधी बर्तन एवं उपकरण विद्यालय अपने स्तर पर उपलब्ध करवायेगा।
6. भोजन प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी आवश्यकतानुसार भरपेट खिलाना होगा। भोजन की गुणवता परखने के लिये मैस संचालन समिति के सदस्यो को सर्वप्रथम भोजन का टेस्ट करवाना होगा।
7. शीतकालीन अवकाश/दीपावली पर छात्रों के विद्यालय में नही रहने की स्थिति में निविदादाता को उतने दिनो का मैस में कार्य नही करने के कारण कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. भोजन पकाने में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पहचान हेतु ठेकेदार को अपने व्यय से पहचान पत्र जारी करना होगा। उनके ठहराने की व्यवस्था स्कूल परिसर में नहीं होगी।
9. बालिका विद्यालय होने एवं मैस छात्रावास के अंदर स्थित होने से निविदादाता को मैस में काम करने वाले मुख्य रसोईया के अतिरिक्त अन्य रसोईये का कार्य करने हेतु आवश्यक रूप से महिला कार्मिक उपलब्ध कराने होंगे।
10. निविदादाता द्वारा भोजन पकाने हेतु लगाये गये श्रमिकों का आचरण अथवा गलत व्यवहार पाये जाने पर प्रधानाचार्य के निर्देश पर उसे तुरन्त हटाना होगा। ऐसा नही करने पर उसका ठेका रदद करने की कार्यवाही की जा सकती है। तथा उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु प्रधानाचार्य आवासीय विद्यालय स्वतंत्र होगे तथा हर्जा खर्चा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
11. निविदादाता द्वारा लगाये गये व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का लाभ अथवा परिलाभ देय नही होगा। श्रम नियमों,मजदूरी अधिनियम की पालना, आवासीय विद्यालय में लगाये गये श्रमिकों को देय भुगतान का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।

Scanned with CamScanner

12. रसोई, भोजन कक्ष तथा मैस परिसर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की स्वयं की होगी तथा कार्य में आने वाले बर्तन व अन्य संबंधित उपकरणों को प्रतिदिन साफ करना होगा।
13. विद्यालय द्वारा किसी प्रकार की सुविधा जैसे आवास, भोजन, वर्दी आदि उपलब्ध नही करवाई जायेगी।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. आवश्यक सुरक्षा माप दण्डों का पालन करना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी तथा कार्य के दौरान श्रमिक के साथ हुई दुर्घटना के लिए निविदादाता ही जिम्मेदार होगा।
16. निविदा स्वीकृत होने के कार्य आदेश मिलने पर छात्रावास अधिक्षक से खाना बनाने के बर्तन प्राप्त करके प्राप्ति रसीद देनी होगी तथा कार्य समाप्ति पर अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा।
17. ग्रीष्मकालीन, मध्यावधि व शीतकालीन अवकाश के दौरान मैस बंद होने पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा, तथा छात्रा संख्या कम होने पर उसके अनुसार लगाये गये कार्मिको की संख्या अनुसार भुगतान किया जायेगा।

प्रधानाचार्य
देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय
विद्यालय अमरपुर, दौसा

मैनें/हमारे द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्ते तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो प्रत्येक पृष्ठ को समझकर इन्हें स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो को पढकर एवं समझकर इन्हे स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

नोट :–

1. सविदा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण–पत्र मय P.F.&ESI कटौती विपत्रों को प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह के बिलो को पारित किया जायेगा।

दिनांक :–

अनिल Pinky

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

Scanned with CamScanner

लय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, अमरपुर (दौसा)

निविदा की सामान्य शर्ते –

टिप्पणी :– विविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदायें भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. ऑनलाईन फिडिंग के लिए बोलीदाता का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र (DSC) होना आवश्यक है। बोली के दस्तावेज मय शर्ते sje.rajasthan.gov.in व rajasthan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। तकनीकी बोली उन्ही बोलीदाताओ को खोली जायेगी जिनके द्वारा तय दिनांक तक निविदा फर्म शुल्क राशि, बोली प्रतिभूति राशि (अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत) के डिमाण्ड ड्राफट जो की प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय आवासीय विद्यालय अमरपुर के नाम तथा ई बोली प्रकिया शुल्क राशि 500/–रू डिमाण्ड ड्राफट **Managing Director, RISL Jaipur (Payable at Jaipur)** के नाम से इस कार्यालय को जमा करवाना होगा।
2. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार विद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित रहेगा।
3. तकनीकी निविदा (Technical Bid) को PDF File में डाला जावे एवं वित्तीय निविदा को एक Excel File में डाला जावें। दोनो निविदाऐं एक साथ होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के आदेश प्राप्ति की तिथि से 07 दिवस की अवधि में निविदा राशि के 05 प्रतिशत (जमा धरोहर राशि को समायोजित करते हुए) के बराबर प्रतिभूति राशि, प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर दौसा के नाम जारी डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी तथा निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध पत्र (निविदादाता द्वारा कय किये गये 1000/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर) निष्पादित करना होगा। निविदा की शर्तो का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी। संतोषप्रद रूप से अनुबंध समाप्त होने के एक माह की अवधि में प्रतिभूति राशि लौटा दी जाएगी, किन्तु इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
5. संवेदक व विद्यालय प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विद्यालय प्रशासन का निर्णय संवेदक को मान्य होगा।
6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा के समस्त निबंधनो एवं शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
7. दरें शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटियां एवं/उपरिलेखन नही होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए
8. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
9. **बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :–**
   (क) निविदा के साथ अनुमानित कय मूल्य के 02 (दो) प्रतिशत के बराबर रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर दौसा के नाम बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक के रूप में होगी। बयाना राशि निम्नलिखित में किसी भी रूप में जमा करायी जानी होगी :–
   (अ) शिडयूल बैंक का बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक।
   (स) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथासंभव शीघ्र लौटायी जायेगी।
10. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–
    (अ) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा का स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
    (ब) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि हो, निष्पादित नहीं करता है।
    (स) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
    (द) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय करने में असफल रहता है।
11. **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–**
    (अ) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 07 दिवस की अवधि के भीतर 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा
    (ब) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।
    (स) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
    (द) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें :–
    (क) बैंक ड्राफट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति। डी.डी. की मूल प्रति कार्यालय में जमा करवानी होगी।
    (ख) प्रतिभूति निक्षेप का सर्मपण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा :–
    (क) जब सविंदा के किन्ही निबंधनो और शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।
    (ग) जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढ़ंग से करने में असफल रहा हो।

अनिल
Pinky

Scanned with CamScanner

(घ) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में केता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एंव उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जायेगी।

12. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है,तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा, जो उस विवाद के लिए एक मात्रं मध्यस्थ (सोल अर्विट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी संविदा से संबंद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।

13. निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी। संशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। संशर्त पेश की गई निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

14. अस्वीकृत निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ जमा कराई गई धरोहर राशि लौटा दी जायेगी, किन्तु निम्नांकित परिस्थितियों में धरोहरा राशि जब्त कर ली जायेगीः–

(क) यदि निविदादाताओं को निविदा खोलने के बाद, किन्तु उसकी स्वीकृति के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है, अथवा स्वेच्छा से संशोधित करता है।

(ख) यदि निविदादाता निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादित नहीं करता है।

(ग) यदि निविदादाता कार्यादेश मिलने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(घ) यदि निविदादाता कार्यादेश के अनुसार कार्य आरम्भ नहीं करता है।

(ड) द्वितीय न्यूनतम राशि वाली फर्म की धरोहर राशि कार्य सम्पन्न होने तक रोक कर रखी जायेगी।

15. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अंशो में स्वीकार करने या स्वीकृत निविदा को रद्द करने का अधिकार निविदा समिति में निहित है।

16. स्वीकृत निविदादाता को अनुबंध निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः–

(क) साझेदारी फर्म होने पर साझेदारी डीड की प्रमाणित प्रति एवं साझेदारी डीड का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक।

(ख) फर्म का पूरा पता एवं टेलीफोन नम्बर।

(ग) ठेके पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा के लिये लगाये जाने वाले व्यक्तियों के नाम पता एवं प्रमाणित पहचान पत्र।

17. सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में उल्लेखित अन्य सभी शर्ते मान्य होगी।

18. समस्त विधिक कार्यवाहियों, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा दौसा में स्थित न्यायालयो में ही की जाएगीं, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

19. तकनीकी निविदा की सम्पूर्ण शर्ते पूरी करने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा। तकनीकी निविदा की शर्ते पूरी नही होने की स्थिति में वित्तीय निविदा बिना खोले ही निरस्त कर दी जायेगी।

20. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सभी निविदाएं नहीं खोला जा सकती है तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदा खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

21. श्रम विभाग की न्यूनतम मजदूरी एंव नियमानुसार समस्त भत्तों की जिम्मेदारी निविदादाता स्वयं की होगी।

22. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

23. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण–पत्र क सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

24. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा करायी गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्थान को आगामी माह के मामिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

25. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा। श्रामिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

26. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस. आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलो का भुगतान किया जायेगा।

27. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड (Display Board) लगाये जायेगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

स्वीकृत ठेके अवधि की अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा संवेदक के विरूद्ध किसी तरह की बाकियात निकाली जाती है तो उसे जमां करानें हेतु संवेदक बाध्य होगा।

29. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जो कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

30. संविदा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण–पत्र मय पी.एफ. व ई.एस.आई. कटौती विपत्रों को प्रस्तुत करने पर ही आगामी माह का बिल पारित किया जायेगा।

31. निविदादाता को प्रतिदिन निविदा में स्वीकृत श्रमिक उपलब्ध न करवाने के कारण सेवा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित न होने की स्थिति में आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी जिसका स्मस्त हर्जा–कर्जा निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा 500/– प्रतिदिन की दर से क्षतिपूर्ति के वसूली की जायेगी, जो कि अधिकतम कार्य आदेश के 10 प्रतिशत की सीमा में होगी किन्तु चूक के कारण से निविदादाता के नियन्त्रण से बाहर के कारणों जैसे प्राकृतिक आपदा अथवा दुर्घटना यदि हो तो निविदादाता क्षतिपूर्ति को माफ करने हेतु विद्यालय कें प्रधानाचार्य को आवेदन करेगा। इस संबंध में प्रधानाचार्य के द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

32. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एंव सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। प्रत्येक बिल से जीएसटी टीडीएस की 2 प्रतिशत राशि अग्रीम रूप से विद्यालय द्वारा काटी जावेगी। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

33. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

34. यदि संवेदक का कार्य लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

35. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम,1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

36. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की काई जिम्मेदारी नहीं होगा।

37. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है, तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debare कराने की कार्यवाही करेगी।

38. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

39. कोई भी संविदाकार्मिक चोरी/भ्रष्टाचार या अन्य संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया, तो ऐसे संविदाकार्मिक के खिलाफ प्रधानाचार्यपुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र होगी। कम्पनी/फर्म को इस सम्बन्ध में जो भी निर्देश दिये जायेगें, मानने के लिए बाध्य होगी।

40. अनुबन्ध में पश्चातवर्ती अवधि में अनुबंध अवधि के संबंध में कोई दर/कटौती जमा/कर देयता/अन्य शुल्क देयता की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी। विद्यालय प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

41. वित्तीय बोली में सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज शून्य या ऋणात्मक तथा एक रूपयें से कम में स्वीकार नहीं होगा।

42. दो फर्मो का सर्विस चार्ज समान होने पर अधिक टर्न ऑवर वाली फर्म को कार्यादेश जारी किया जाएगा।

43. कार्य का भुगतान मासिक रूप से होगा। प्रत्येक माह जितने कार्मिक नियोजित किये जायेगे, उनकी उपस्थिति अनुसार सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रमाणित किये जाने एवं सेवा के संतोषजनक का प्रमाण पत्र विद्यालय समिति पर्यवेक्षक/वरिष्ठ कार्मिक द्वारा दिये जाने के उपरान्त नियमानुसार आयकर/TDS UNDER GST कटौति के बाद भुगतान दिया जायेगा।

44. मासिक राशि की गणना 26 दिवसीय अवधि मानकर की जावेगी।

45. श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एक श्रमिक की महिने की मजदूरी की गणना 26 दिवस मानकर की जाती है अतः सुरक्षाकर्मी तथा रसोईया की आवश्यकता पूरे महिने रहेगी। इस आधार पर उक्त कार्मिक को श्रम विभाग के नियमानुसार चार दिवस का अवकाश देना होगा अर्थात् सफल बोलीदाता को रिलीवर स्वयं के स्तर पर लगाना होगा।

46. आपात स्थिति में किसी भी समय सेवा ली जा सकती है।

47. राजकीय अवकाश के दिन भी अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आवश्यकता होने पर दिये गये निर्देशानुसार ठेकेदार को नियमानुसार अनुबंधित श्रमिकों कों कार्य करने हेतु उपलब्ध करवाना होगा जिसका भुगतान श्रम विभाग के नियमानुसार देय होगा।

48. समस्त प्रकार के विवादों के लिये न्याय क्षेत्र जिला मुख्यालय दौसा होगा।

49. संवेदक द्वारा किसी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नहीं किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र लैटर हैड पर अनिवार्य संलग्न करना होगा।

Scanned with CamScanner

50. संवेदक द्वारा स्वयं का चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

51. एफ.एफ.एस.आई प्रमाण–पत्र।

52. **ई–टेन्डरिंग के लिए निविदा दाता हेतु निर्देश** –

अ– इन निविदाओं में दिलचस्पी लेने वाले निविदा दाता निविदा प्रपत्रों का इन्टरनेटसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड (Download) कर सकते है ।

ब– निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को इन्टरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा । ऑन लाइन निविदा में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में साइन करने हेतु काम आयेगा। निविदा दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (CCA) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते है । जिन निविदा दाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है ।

स– निविदा दाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फार्मेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा ।

द– ऑन लाइन निविदाऐं निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जायेगी ।

य– इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे की निविदा प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है ।

र– कोई भी टेंडर इलैक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारण से लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार यह कार्यालय नहीं होगा ।

ल– टेंडर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को संपूर्ण रूप से भरकर ऑन लाईन दर्ज करे ।

नोट :– निविदा फॉर्म में टंकण त्रुटि होने की दशा में जी.ए./एफ.आर. में वर्णित शर्ते ही अन्तिम रूप में मान्य होगी।

प्रधानाचार्य
देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय
विद्यालय अमरपुर, दौसा

मैनें/हमारे द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्ते तथा निविदा की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो को समझकर इन्हें स्वीकार करते है, तथा सभी शर्तो को समझकर इन्हें स्वीकार करतें है तथा सभी शर्तो को समझकर इन्हे स्वीकार करते है तथा सभी शर्तो को पढकर एवं समझकर इन्हे स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।

नोट :– संविदा कार्मिकों को किये गयें भुगतान का प्रमाण–पत्र मय P.F.&ESI कटौती विपत्रों को प्रस्तुत करने पर ही बिल पारित किया जायेगा।

दिनांक :–

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

....

मोबाईल नम्बर....................................

Scanned with CamScanner

...ालय प्रधानाचार्य, देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, अमरपुर (दौसा)

(जारीकर्ता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर एवं तिथि)

मैसर्स .... को जारी किया गया।

निविदा प्रपत्र (वित्तीय निविदा)

विषय :– देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय अमरपुर, दौसा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, प्रयोगशाला सेवक, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन/ प्लम्बर, बागवान, प्रयोगशाला सेवक, मुख्य रसोईया, रसोईये का कार्य से संविदा पर जॉब बेसिस के आधार पर करवाने बाबत।

1. निविदादाता फर्म का नाम व पता :– ....
.... दिनांक ....
2. निविदा संख्या .... दिनांक ....
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु जमा कराई गई राशि 1000/–रू की डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
4. धरोहर राशि जमा करवाने के संदर्भ डी.डी. संख्या .... दिनांक ....
5. मैं/हम तकनीकी निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में अंकित समस्त शर्तो एवं तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तो से सहमत हूँ/हैं। सहमति के साक्ष्य स्वरूप तकनीकी निविदा शर्त के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे हस्ताक्षर किये गये हैं।

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें
01	सुरक्षाकर्मी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, बागवान, प्रयोगशाला सेवक, इलेक्ट्रिशियन/प्लम्बर, मुख्य रसोईया, रसोईये का कार्य	अकुशल – 10 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – 1 (12 माह), 2(10माह) 2 सफाई कर्मचारी – 1 (12 माह), 1(10माह) 4 रसोईये– (10 माह) प्रयोगशाला सेवक – 1 (10 माह)	6734 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
		कुशल – 07 सुरक्षाकर्मी–3 (12 माह), सुरक्षाकर्मी–1 (10 माह), इलेक्ट्रिशियन–1, बागवान–1 (12 माह) एवं मुख्य रसोईयां–1 (10 माह)	7358 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह

नोट :–

1. भविष्य में संविदाकार्मियों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
2. संविदा कार्मिकों को किये गये भुगतान का प्रमाण–पत्र मय पी.एफ/ई.एस.आई. कटौती विपत्रों को प्रस्तुत करने पर ही बिल पारित किया जायेगा।
3. सेवा प्रदाता की सर्विस चार्ज की राशि सोर्स पर आयकर कटौति की प्रचलित दर 2 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
4. ग्रीष्मकालीन, मध्यावधि व शीतकालीन अवकाश के दौरान 2 सफाई कार्मिको के स्थान पर 1, 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थान पर 1, श्रमिकों की आवश्यकता रहेगी, अतः 01 सफाई कर्मचारी, 01 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का ही भुगतान किया जायेगा, मैस का संचालन नहीं होने के दौरान मुख्य रसोईया एवं रसोईयो को कोई भुगतान नहीं होगा, मैस संचालन एवं मैस कार्मिको की आवश्यकता अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
5. ई.पी.एफ. दर प्रस्तुत दर की 13 प्रतिशत व ई.एस.आई. दर प्रस्तुत दर क 3.25 प्रतिशत होगी।
6. निविदा की दरें संलग्न B.O.Q. Excel Sheet में अंकित करनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

फर्म का नाम ....

मोबाईल नम्बर ....

Pinky

Scanned with CamScanner

संलग्न दस्तावेजो की सूची

क0सं0	विवरण	रजि. संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्न कमांक
01	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
02	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
03	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
04	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
05	आय कर (पैन नम्बर)				
06	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				
07	पसारा एक्ट 2005				
08	ब्लैक लिस्टेड नही होने का प्रमाण–पत्र				
09	चरित्र प्रमाण–पत्र				
10	एफ.एफ.एस.आई प्रमाण पत्र				
11	सम्पूर्ण बिड प्रपत्र Annexure A,B,C,D,I सहित।				
12	गत तीन वर्षो का सी.ए. द्वारा सत्यापित टर्न ओवर प्रमाण–पत्र मय यूडीआईएन				
13	निविदा शुल्क प्रोसेसिंग शुल्क एवं अमानता राशि के डी.डी				

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम ....

निविदादाता का पूर्ण पता ....

Scanned with CamScanner